**दिनांक 22 मार्च, 2017 (बुधवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न विद्या परिषद की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

**बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया :**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रोफेसर नागेश्वर राव,<br>कुलपति,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,<br>हल्द्वानी। | अध्यक्ष |
| 2. | प्रोफेसर बी0एम0 कुमार,<br>मानविकी एवं समाज विज्ञान महाविद्यालय,<br>गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,<br>पंतनगर। | सदस्य |
| 3. | प्रोफेसर मधुरेन्द्र कुमार,<br>राजनीति विज्ञान विभाग,<br>कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल। | सदस्य |
| 4. | प्रोफेसर एच.पी. शुक्ल,<br>निदेशक, मानविकी विद्याशाखा,<br>उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 5. | प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे,<br>निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा,<br>उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 6. | प्रोफेसर दुर्गेश पंत,<br>निदेशक, कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान, विद्याशाखा,<br>उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 7. | डॉ वीरेन्द्र कुमार,<br>सहायक प्राध्यापक, कृषि,<br>उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 8. | डॉ हेमन्त काण्डपाल,<br>सहायक प्राध्यापक, आयुर्वेद,<br>उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | |
| 8. | प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र,<br>निदेशक,<br>प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य/कुलसचिव<br>उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य सचिव |

10. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, आमंत्रित सदस्य
परीक्षा नियंत्रक,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

11. श्रीमती आभा गर्खाल, आमंत्रित सदस्य
वित्त नियंत्रक,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

सर्वप्रथम कुलसचिव (सचिव विद्या परिषद) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष विद्या परिषद) तथा सभी उपस्थित सदस्यों का विद्या परिषद की 10वीं बैठक में स्वागत किया गया। कुलसचिव ने विशेषरूप से विद्या परिषद की बैठक में प्रथम बार उपस्थित दोनों बाह्य सदस्यों प्रोफेसर बी0एम0 कुमार तथा प्रोफेसर मधुरेन्द्र कुमार का स्वागत किया।

तदुपरान्त कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों का परिचय देते हुए उनका स्वागत किया। कुलपतिजी ने बताया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली में विद्या परिषद की किसी भी बैठक की गणपूर्ति आठ सदस्यों से होने की व्यवस्था है। अगस्त, 2016 में विद्या परिषद हेतु शिक्षा के क्षेत्र में जिन पॉच बाह्य सदस्यों को नामित किया गया था उनमें से कुछ सदस्यों के द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है इस कारण विद्या परिषद की बैठक आयोजित किये जाने में कठिनाई न हो इसलिए नये सदस्य के रूप में प्रोफेसर बी0एम0 कुमार, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा प्रोफेसर मधुरेन्द्र कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को इस हेतु नामित किया गया है तथा इस हेतु दोनों सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। चूंकि परिनियमावली में विद्या परिषद के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि स्पष्ट नहीं है इसलिए परिनियम संशोधन हेतु प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपतिजी को प्रेषित किया गया है, संशोधन प्राप्त होने पर ही अवधि के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो पायेगी। बाह्य सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने की सूचना बहुत कम समय में दी गयी फिर भी उनके द्वारा विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया गया इसके लिए कुलपति जी द्वारा दोनों बाह्य सदस्यों का विशेष आभार व्यक्त करते हुए पुन: स्वागत किया गया।

बाह्य सदस्यों के स्वागत व परिचय के उपरान्त कुलपति जी द्वारा सभी आन्तरिक सदस्यों का स्वागत करते हुए बाह्य सदस्यों से उनका परिचय कराया गया।

विद्या परिषद के सभी सदस्यों के परिचय के उपरान्त कुलपति जी ने बाह्य सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय विद्या परिषद की सम्पन्न विगत बैठक के उपरान्त विश्वविद्यालय को कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है जैसे:-

- यू0जी0सी0 से विश्वविद्यालय के 78 पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने की अनुमति प्राप्त हो गयी है।
- विश्वविद्यालय द्वारा शोध उपाधि अध्यादेश निर्मित किया गया है जिसे महामहिम कुलाधिपति सचिवालय को प्रेषित किया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक वर्षीय अथवा उससे कम अवधि के डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- विश्वविद्यालय के द्वारा OER के बारे में नीति बना ली गई है तथा MOOCs को पाठ्यक्रमों में 20 प्रतिशत का क्रेडिट देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।
- विद्यार्थियों की सुविधा हेतु जनवरी, 2017 शैक्षणिक सत्र से वर्ष में दो बार प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ की गयी है जिसकी विश्वविद्यालय को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है तथा अद्यतन जनवरी, 2017 शैक्षणिक सत्र में लगभग 12 हजार अतिरिक्त विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं।
- दिनांक 07 नवम्बर, 2016 को विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया उसी क्रम में महामहिम कुलाधिपतिजी की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को द्वितीय दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) तैयार किया गया है जिसे विश्वविद्यालय की आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।
- महामहिम कुलाधिपति जी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा पॉच गॉव गोद लिये गये हैं जिसमें समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर, योग शिविर आदि आयोजित किये जा रहें हैं तथा गॉवों में विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है इसलिए कौशल विकास (Skill Development) के पाठ्यक्रमों पर भी बल दिया जा रहा है।

माननीय कुलपतिजी के द्वारा विद्या परिषद की सम्पन्न विगत बैठक के उपरान्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संक्षिप्त विवरण के पश्चात विद्या परिषद की कार्यसूची पर विचार किया गया तथा निम्नवत् प्रस्ताव स्वीकार किये गये:-

**प्रस्ताव संख्या 10.01- विद्या परिषद की 8वीं बैठक दिनांक 06.09.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

विद्या परिषद की दिनांक 06.09.2016 को सम्पन्न 8वीं बैठक के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 10.02- विद्या परिषद की 9वीं बैठक दिनांक 06.11.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

विद्या परिषद की दिनांक 06.11.2016 को सम्पन्न 9वीं बैठक के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 10.03- विद्या परिषद की 8वीं बैठक दिनांक 06.09.2016 एवं 9वीं बैठक दिनांक 06.11.2016 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।**

विद्या परिषद की 8वीं बैठक दिनांक 06.09.2016 एवं 9वीं बैठक दिनांक 06.11.2016 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया जिस पर सभी सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए सहमति प्रदान की गयी।

**प्रस्ताव संख्या-10.04- कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल एवं श्रीदेवसुमन विश्वविद्यालय, श्रीनगर से व्यक्तिगत परीक्षा व्यवस्था समाप्त किये जाने के फलस्वरूप संबंधित विद्यार्थियों द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लिये जाने के संबंध में मानवीय संसाधनों की आवश्यकता पर विचार।**

प्रस्ताव पर कुलसचिव ने अवगत कराया कि यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय के योजना बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2017 में प्रस्तुत किया गया था जिस पर योजना बोर्ड के सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त यह सुझाव दिया गया कि व्यक्तिगत विद्यार्थियों के आने से विश्वविद्यालय की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जायेगीं, अत: विश्वविद्यालय को उसी अनुपात में पाठ्य सामग्री की आपूर्ति, परामर्श सत्र/कार्यशालाओं का आयोजन एवं परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए मानव संसाधनों की भी बढ़ोत्तरी की जानी होगी। योजना बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त न्यूनतम आवश्यकता के रूप में की गयी मानव संसाधनों की संस्तुतियों को विद्या परिषद के समक्ष इस प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर बाह्य सदस्य प्रोफेसर बी0एम0 कुमार ने इस पर सुझाव दिया कि अतिरिक्त पदों की मांग में शैक्षिक वर्ग में प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक के पद कम है जिन्हें बढ़ाये जाने की आवश्यकता है जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति दी गयी।

उक्त प्रस्ताव पर कुलसचिव ने बाह्य सदस्यों को यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर वर्ग में भी पदों की बहुत अधिक कमी है तथा पूरा विश्वविद्यालय ही प्रमुखत: अस्थायी पदों की सहायता से ही चल रहा है। वित्त नियंत्रक ने कहा कि लेखाकार तथा सहायक लेखाकार के पदों को और बढ़ाया जाय। न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत ये पद बहुत कम है, इस पर कुलपति जी ने आई0टी0 के पदों को भी बढ़ाये जाने का निर्देश दिया। तत्पश्चात गहन विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए मानव संसाधनों को बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत सूची को संशोधित करते हुए पद सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गई:-

**शैक्षिक पद**

| क्रम संख्या | पाठ्यक्रम का नाम | सृजित पद | | | अतिरिक्त पद | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राध्यापक | सह-प्राध्यापक | सहायक प्राध्यापक | प्राध्यापक | सह-प्राध्यापक | सहायक प्राध्यापक |
| 1. | अंग्रेजी | 01 | - | 01 | - | 01 | 01 |
| 2. | प्रबंध अध्ययन | 01 | - | 02 | - | 01 | - |
| 3. | कम्प्यूटर साइंस | 01 | 01 | 01 | - | - | 01 |
| 4. | इतिहास | 01 | 01 | 01 | - | - | 02 |
| 5. | पत्रकारिता एवं जनसंचार | 01 | 01 | 01 | - | - | 01 |
| 6. | शिक्षाशास्त्र | 02 | 01 | 04 | - | - | 02 |
| 7. | वाणिज्य | 01 | 01 | 02 | - | - | 01 |
| 8. | होटल मैनेजमेन्ट | 01 | - | 01 | - | 01 | - |
| 9. | कृषि | 01 | - | 01 | - | - | - |
| 10. | विधि | 01 | - | 01 | - | - | - |
| 11. | मैकेनिकल इंजीनियर | 01 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | समाजशास्त्र | 01 | - | 01 | - | 01 | 02 |
| 13. | राजनीति शास्त्र | 01 | - | 01 | - | 01 | 02 |
| 14. | गणित | - | 01 | 01 | 01 | - | - |
| 15. | जन्तु विज्ञान | - | 01 | - | - | - | 01 |
| 16. | विकास अध्ययन (विषय निर्धारित नहीं किया गया है) | - | 01 | - | - | - | - |
| 17. | हिन्दी | - | 01 | 02 | 01 | - | 02 |
| 18. | अर्थशास्त्र | - | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 |
| 19. | पर्यटन | - | - | 01 | 01 | 01 | - |
| 20. | वानिकी | - | - | 01 | - | - | - |
| 21. | आयुर्वेद | - | - | 01 | - | - | - |
| 22. | भौतिकी | - | - | 03 | 01 | 01 | - |
| 23. | संस्कृत | - | - | 01 | 01 | 01 | 02 |
| 24. | रसायन विज्ञान | - | - | 03 | 01 | 01 | - |
| 25. | योग | - | - | 02 | 01 | 01 | 02 |
| 26. | ज्योतिष | - | - | 01 | - | 01 | 01 |
| 27. | समाज कार्य | - | - | 01 | 01 | 01 | 02 |
| 28. | भूगोल | - | - | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 29. | वनस्पति विज्ञान | - | - | 01 | 01 | 01 | - |
| 30. | मनोविज्ञान | - | - | 01 | - | 01 | - |
| 31. | लोक प्रशासन | - | - | 01 | - | 01 | 01 |
| 32. | स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज | - | - | 01 | - | 01 | 01 |
| 33. | पुस्तकालय एवं सूचना/ विज्ञान/ लाइब्रेरी साइंस | - | - | 02 | - | - | - |
| 34. | संगीत | - | - | 01 | - | 01 | - |
| 35. | गृहविज्ञान | - | - | 01 | - | 01 | 01 |
| 36. | उर्दू | - | - | 01 | 01 | 01 | - |
| 37. | बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) | - | - | 01 | 01 | 01 | 03 |
| | **योग** | **14** | **10** | **46** | **13** | **22** | **31** |

शिक्षणेत्तर वर्ग के नियमित पद

| क्रम संख्या | पदनाम | सृजित पद | अतिरिक्त पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | उपकुलसचिव | 01 | 02 | विश्वविद्यालय में कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय- क्षेत्रीय सेवायें, अकादमिक, विभिन्न विद्याशाखाओं के निदेशकों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न |
| 2. | सहायक क्षेत्रीय निदेशक | 08 | - | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | शोध अधिकारी | 03 | - | स्थानों में स्थापित 08 क्षेत्रीय केन्द्रों के सुचारू एवं दक्षतापूर्वक संचालन हेतु विश्वविद्यालय में नियमित पदों का होना नितान्त आवश्यक है। तालिका में वर्णित विवरणानुसार शासन को नियमित पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। |
| 4. | सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई0टी0 | 04 | - | |
| 5. | नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर | - | 01 | |
| 6. | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | - | 02 | |
| 7. | हार्डवेयर इंजीनियर | - | 02 | |
| 8. | सहायक लेखाधिकारी | - | 01 | |
| 5. | सहायक कुलसचिव | 06 | - | |
| 6. | प्रशासनिक अधिकारी | - | 03 | |
| 7. | मुख्य सहायक | - | 15 | |
| 8. | प्रवर सहायक | - | 15 | |
| 9. | कनिष्ठ सहायक | 25 | 40 | |
| 10. | वैयक्तिक सहायक | 01 | 01 | |
| 11. | आशुलिपिक | 01 | 03 | |
| 12. | लेखाकार | 01 | 01 | |
| 13. | सहायक लेखाकार | 02 | 01 | |
| 14. | क्रय सहायक | 01 | - | |
| 15. | कैशियर | 01 | - | |
| 16. | सहायक स्टोर कीपर | 01 | - | |
| 17. | लेखा लिपिक | - | 05 | |
| 18. | पुस्तकालयध्यक्ष | - | 01 | |
| 19. | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष | - | 02 | |
| 20. | कैटलॉगर | - | 02 | |
| 21. | प्रयोगशाला सहायक | - | 06 | |
| 22. | परिचर | - | 20 | |
| | **योग** | **55** | **123** | |

**प्रस्ताव संख्या 10.05- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशानुसार एक वर्षीय डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र को अंगीकृत करने पर विचार।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशानुसार एक वर्षीय डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 को विद्या परिषद द्वारा अंगीकृत किया गया।

**प्रस्ताव संख्या-10.06- व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा के अन्तर्गत दो नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने के संबंध में।**

प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा निदेशक व्यावसायिक अध्ययन, प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे से विस्तृत जानकारी देने हेतु अनुरोध किया गया जिस पर प्रोफेसर पाण्डे ने सभी को अवगत कराया कि कौशल विकास से जुडे प्रस्तुत दोनों पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियो प्रोडक्शन एण्ड प्रोग्रामिंग तथा सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल स्किल एण्ड प्रोसेस वर्तमान में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही बनाये गये है। इनके लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है तथा भविष्य में इन प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के रूप में भी संचालित किया जायेगा। इस पर कुलपति जी ने निर्देशित किया कि उक्त पाठ्यक्रमों को छ: माह या एक वर्ष से अधिक न चलाया जाय। विश्वविद्यालय द्वारा नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने की बाह्य सदस्यों ने सराहना की तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 10.07- विश्वविद्यालय में आई0टी0 अकादमी स्थापित किये जाने के संबंध में।**

विश्वविद्यालय में शासन की स्वीकृति के उपरान्त आई0टी0 अकादमी स्थापित किये जाने पर सभी सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया तथा बाह्य सदस्यों ने विश्वविद्यालय को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। प्रस्ताव आई0टी0 से संबंधित होने के कारण कुलसचिव द्वारा प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान, विद्या शाखा से अनुरोध किया गया कि वे इस पर सभी को जानकारी उपलब्ध करायें। प्रोफेसर पंत ने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं के दृष्टिगत यह विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आई0टी0 अकादमी का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाना है, जिसमें प्रदेश के सभी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभान्वित होंगे। कुलसचिव ने अवगत कराया कि आई0टी0 अकादमी के संचालन के लिए विश्वविद्यालय में अस्थायी रूप से एक कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की जानी प्रस्तावित है। आई0टी0 अकादमी की स्थापना के लिए वित्तीय अनुदान की आवश्यकता है जिसके लिए ₹ 1 करोड़ 45 लाख का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

**प्रस्ताव संख्या 10.08- विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में सत्रीय कार्य की व्यवस्था के संबंध में।**

विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में सत्रीय कार्य (Assignment) की व्यवस्था के संबंध में कुलसचिव द्वारा बाह्य सदस्यों को अवगत कराया गया तथा इस प्रक्रिया में कुछ आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु गठित समिति की निम्नलिखित संस्तुतियों को विद्या परिषद ने विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया:-

**<u>सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं आधार पाठ्यक्रमों के संबंध में:-</u>**

- इन पाठ्यक्रमों में स्व-कार्य (Assignment) समाप्त किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।
- इन पाठ्यक्रमों में से निम्न को छोड़कर शेष पाठ्यक्रमों में प्रयोगात्मक, मौखिक परीक्षा एवं परियोजना कार्य को समाप्त करने पर सहमति हुई:-
    1. व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
    2. कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
    3. योग में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
    4. होटल प्रबंध में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में स्व-कार्य (Assignment) का भार 20 प्रतिशत का होगा। उक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रश्न पत्रों में अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा:-

1. खण्ड अ 20 अंकों के 02 दीर्घउत्तरीय प्रश्न (कुल 04 प्रश्न)
2. खण्ड ब 05 अंकों वाले 06 लघुउत्तरीय प्रश्न (कुल 08 प्रश्न)
3. खण्ड स 10 प्रश्न तथ्यनिष्ठ प्रकार के 01-01 अंक के (सभी प्रश्न अनिवार्य)

- यह प्रस्ताव सत्र 2017-18 से प्रभावी होगा।
- जो विद्यार्थी पुराने सत्र/सत्रों में प्रवेश ले चुके हैं उनके लिये स्व-कार्य की व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी।

**प्रस्ताव संख्या 10.09- विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित ओ0ई0आर0 पॉलिसी (Open Education Resources Policy) को लागू किये जाने के संबंध में।**

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा ओ0ई0आर0 पॉलिसी को लागू किये जाने संबंधी निर्देशों के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर कुलपति जी द्वारा बाह्य सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में ही ओ0ई0आर0 पॉलिसी निर्मित कर लागू कर दी गई है, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा कुलपति जी की कार्योत्तर स्वीकृति का अवलोकन कर संस्तुति प्रदान की गयी।

**प्रस्ताव संख्या 10.10- कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा के अन्तर्गत डिप्लोमा इन इनफॉरमेशन टैक्नौलॉजी पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने के संबंध में।**

प्रस्ताव का अवलोकन कर संस्तुति की गई।

**प्रस्ताव संख्या 10.11- पर्यटन, आतिथ्य व होटल प्रबंध विद्याशाखा के अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।**

पर्यटन, आतिथ्य व होटल प्रबंध विद्याशाखा के अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) की संस्तुतियों का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 10.12- विश्वविद्यालय में संचालित बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) पाठ्यक्रम एवं स्नातक उपाधि धारकों को एकल विषय में अनुमन्य पंजीकरण की सुविधा शैक्षणिक सत्र 2016-17 से बन्द किये जाने के संबंध में सूचना।**

विश्वविद्यालय में संचालित बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) पाठ्यक्रम एवं स्नातक उपाधि धारकों को एकल विषय में अनुमन्य पंजीकरण की सुविधा पर कुलसचिव द्वारा बाह्य सदस्यों को अवगत कराया गया कि यू0जी0सी0 से उक्त पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने की अनुमति न मिलने के कारण शैक्षणिक सत्र 2016-17 से इन पाठ्यक्रमों का संचालन बन्द कर दिया गया है तथा यू0जी0सी से अनुमति प्राप्त होने पर ही पुन: आरम्भ किया जायेगा जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

**प्रस्ताव संख्या 10.13- सहायक क्षेत्रीय निदेशक पद की लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्मित करने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार।**

प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा बाह्य सदस्यों को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों में लगभग 233 अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन अध्ययन केन्द्रों में विद्यार्थियों के प्रवेश, पंजीकृत विद्यार्थियों को समयबद्ध रूप से पाठ्य सामग्री की आपूर्ति एवं परीक्षाओं के सुचारू संचालन के दृष्टिगत 08 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गयी है जो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किये गये है

जिसमें उसी महाविद्यालय के एक प्राध्यापक को क्षेत्रीय निदेशक बनाया गया है तथा विश्वविद्यालय के एक तृतीय श्रेणी कार्मिक को उनके साथ सम्बद्ध किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए शासन द्वारा 08 सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पद सृजित किये गये हैं जिन्हें शीघ्र पूरित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 14वीं बैठक दिनांक 09 सितम्बर, 2016 में शैक्षिक अर्हता का निर्धारण किया गया है, निर्धारित अर्हता को शासन द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। तदुपरान्त कार्य कार्य परिषद की 16वीं बैठक दिनांक 02.12.2016 द्वारा सहायक क्षेत्रीय निदेशक पदों की चयन प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया। अनुमोदित चयन प्रक्रिया के क्रम में लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्मित किये जाने हेतु कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की गयी जिसमें प्रोफेसर एच0 पी0 शुक्ल, प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे तथा डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय सम्मिलित थे। गठित समिति की संस्तुतियों का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर संस्तुति प्रदान की गयी।

**प्रस्ताव संख्या 10.14- शोध अधिकारी तथा सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई0टी0 पद की शैक्षिक अर्हता एवं लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्मित करने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार।**

शोध अधिकारी तथा सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई0टी0 पद की शैक्षिक अर्हता एवं लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्मित करने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार-विमर्श करते हुए कुलपति जी ने उक्त शैक्षिक अर्हता को संशोधित करने हेतु निर्देशित किया जिस पर सभी सदस्यों ने विचार-विमर्श के उपरान्त शोध अधिकारी तथा सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई0टी0 पद के लिए निम्नानुसार शैक्षिक अर्हता एवं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करने की विद्या परिषद द्वारा संस्तुति प्रदान की गई:-

**1- Research Officer-**

शोध अधिकारी पद हेतु शैक्षिक अर्हता निम्नवत् प्रस्तावित है:-

**A. Essential Qualification :-**

P.G. in any subject with 55%

**B. Desirable Qualification:-**

1. Research Experience of 3 years.
2. Knowledge/Experience of OER/LMS/Data analysis

**2- Assistant Director, Computer IT-**

सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई0टी0 पद हेतु शैक्षिक अर्हता निम्नवत् प्रस्तावित है:-

**A. Essential Qualification :-**

1. 55% in BE/B.Tech in Computer Science & Engineering/Information Technology with (03) three years experience in relevant filed

OR

2. 55% in M.Tech. in (CS/ IT) with (01) one year experience in relevant field

OR

3. 55% in MCA/MSc. (IT & CS) with (02) two years experience in relevant field.

**B. Desirable Qualification:-**

1. Managing Web servers, mail servers, LDAP, DNS on Linux/Unix and Windows servers.
2. Development/implementation of educational distance learning system/ programme/ course design & development of educational blogs, web server, preferably on Drupal/ Moodle or such open source platforms.

**शोध अधिकारी तथा सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई0टी0 के पदों की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम:-**

| क्रम सं0 | लिखित परीक्षा हेतु विचारणीय बिन्दु | पदनाम | |
|---|---|---|---|
| | | शोध अधिकारी | सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई0टी0 |
| 1. | पाठ्यक्रम का स्तर | परास्नातक तथा पी0एच-डी0 कोर्स वर्क स्तर | बी0ई0/बी0टेक0 स्तर (B.E./B.Tech. level) |
| 2. | लिखित परीक्षा का प्रकार | वस्तुनिष्ठ | |
| 3. | लिखित परीक्षा के खण्डों का निर्धारण | **03 खण्ड**<br>**कुल 80 अंक (समयावधि 03 घंटा)**<br>**(प्रत्येक प्रश्न हेतु 01 अंक निर्धारित)**<br>1. सामान्य ज्ञान (20 अंक)<br>2. अनुसंधान योग्यता (30 अंक)<br>3. सामान्य बौद्धिक परीक्षण (30 अंक) | **02 खण्ड**<br>**कुल 80 अंक (समयावधि 03 घंटा)**<br>**(प्रत्येक प्रश्न हेतु 01 अंक निर्धारित)**<br>1. सामान्य बौद्धिक परीक्षण (30 अंक)<br>2. कम्प्यूटर योग्यता परीक्षण (50 अंक) |
| 4. | साक्षात्कार हेतु प्रवीणता सूची में आमंत्रित अभ्यर्थियों का अनुपात | 1:5 | |

**प्रस्ताव संख्या 10.15- स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में पूर्व से प्रचलित पार्श्व प्रविष्टि (Lateral Entry) की व्यवस्था में सुधार के संबंध में गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार।**

स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में पूर्व से प्रचलित पार्श्व प्रविष्टि (Lateral Entry) की व्यवस्था में सुधार के संबंध में गठित समिति की संस्तुतियों पर कुलसचिव ने अवगत कराया कि इस बिन्दु के प्रस्ताव के साथ संलग्न, संलग्नक में कुछ संशोधन किये गये हैं जो इस कार्यसूची के प्रस्ताव संख्या- 10.23 के साथ संलग्न है जिस पर परिषद द्वारा विचारोपरान्त निम्नानुसार संस्तुति की गयी:-

1. पार्श्व प्रविष्टि की प्रक्रिया को जारी रखा जाये।
2. पूर्व संस्थान से उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा के उपरान्त 03 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों पर ही पार्श्व प्रविष्टि के लिए विचार किया जायेगा।

3. पार्श्व प्रविष्टि के लिए आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ पूर्व संस्थान/विश्वविद्यालय के तत्संबंधित कार्यक्रम के संबंधित वर्ष/वर्षों का पाठ्यक्रम (Syllabus) स्व-हस्ताक्षरित करके संलग्न करना होगा।
4. समतुल्यता के लिए पूर्व संस्थान में पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम का 75 प्रतिशत भाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से मिलान होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।
5. यदि पूर्व संस्थान के पाठ्यक्रम का 75 प्रतिशत भाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से न मिलता हो अथवा पाठ्यक्रम के ऐसे कुछ प्रश्न पत्र जो आवेदक ने पूर्व में पूरे कर लिए हों और उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो अगले वर्ष/वर्षों में चल रहे हों तो ऐसी स्थिति में आवेदक छात्र को समतुल्यता समिति पाठ्यक्रम के ऐसे पूर्व वर्ष/वर्षों के कुछ प्रश्न-पत्रों का अतिरिक्त अध्ययन आवश्यक कर सकेगी।
6. पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों द्वारा पूर्व संस्थान के प्राप्तांकों को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रतिशतांक में परिवर्तित किया जायेगा जो अंतिम अंक तालिका में तथा छात्र की श्रेणी निर्धारण हेतु मान्य होगा।
7. पार्श्व प्रविष्टि से उपाधि प्राप्त छात्र विश्वविद्यालय पदक के लिये अर्ह नहीं होगें।
8. पार्श्व प्रविष्टि से संबंधित आवेदन पर केवल विश्विद्यालय मुख्यालय में ही विचार किया जायेगा और अध्ययन केन्द्रों को ऐसे आवेदन पत्र मुख्यालय भेजने होंगे। समतुल्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त ही ऐसे छात्रों का प्रवेश संबंधित अध्ययन केन्द्रों में किया जा सकेगा।
9. बीएपीपी/ बीसीपीपी/ बीसीएपीपी परीक्षा में पूर्व में उत्तीर्ण छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अगले तीन वर्ष तक ही स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए अनुमन्य होंगे।
10. उसी कक्षा में प्रवेश लेने वाले अन्य छात्रों के लिए अध्ययन एवं मूल्यांकन की जो व्यवस्था प्रचलित होगी, पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए भी वही व्यवस्था लागू होगी।
11. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये यह सुविधा पूर्ववत रहेगी, किन्तु अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में एक विशिष्ट समिति अभ्यर्थी की समतुल्यता, प्रमाण-पत्रों एवं प्रवेश के संबंध में निर्णय लेगी जिसके सदस्य निम्नवत होगें:-

| | |
|---|---|
| संबंधित विद्याशाखा निदेशक | अध्यक्ष |
| निदेशक समस्त विद्याशाखा | सदस्य |
| प्रभारी प्रवेश | सदस्य |
| पाठ्यक्रम समन्वयक | सदस्य |

**प्रस्ताव संख्या 10.16- यूजीसी के दिशा-निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा (Cyber Security) को आधार पाठ्यक्रम के रूप में आरम्भ किये जाने के संबंध में।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा (Cyber Security) को एक विषय के रूप में संचालित किये जाने के प्रस्ताव पर बाह्य सदस्यों ने विश्वविद्यालय की सराहना की तथा साइबर सुरक्षा विषय पर डॉ0 जितेन्द्र पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक, कम्प्यूटर विज्ञान द्वारा निर्मित पुस्तक 'Introduction to Cyber Security' का अवलोकन किया गया। परिषद द्वारा साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर पर वर्तमान में संचालित मानव मूल्य में आधार पाठ्यक्रम (FHVA) के साथ ही वैकल्पिक विषय के रूप में संचालित किये जाने की संस्तुति की गयी।

**प्रस्ताव संख्या 10.17- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016-17 तथा 2017-18 में विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में सूचना।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (DEB) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016-17 तथा 2017-18 में विश्वविद्यालय को अनुमत पाठ्यक्रमों की सूची का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर संस्तुति की गयी।

**प्रस्ताव संख्या 10.18- विश्वविद्यालय में द्वितीय दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने के संबंध में।**

विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह के आयोजन के संबंध में प्रस्तुत सूचना तथा कुलाधिपति जी द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने की अनुमति से परिषद अवगत हुई। विश्वविद्यालय में वर्ष 2015-16 में स्नातक/स्नातकोत्तर/ पी0जी0 डिप्लोमा/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र में कुल 7,170 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तकर स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दीक्षान्त समारोह में उपाधियां एवं 20 स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने है जिसमें 18 नियमित स्वर्ण पदक तथा 02 कुलाधिपति स्वर्ण पदक होंगें। वर्ष 2015-16 में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने की भी अनुमति प्रदान की गयी।

**प्रस्ताव संख्या 10.19- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा पाठ्यक्रमों के निर्धारित नामों के अनुपालन में स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत संचालित योग विषय के स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का नाम परिवर्तित किये जाने के संबंध में सूचना।**

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यू0जी0सी0 के द्वारा पाठ्यक्रमों के निर्धारित नामों के अनुपालन में योग विषय के स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का नाम परिवर्तित कर निम्नवत् किए जाने पर संस्तुति प्रदान की गई:-

स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत वर्तमान में विश्वविद्यालय में DEB से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप योग में निम्न पाठ्यक्रम संचालित है;

| क्रम संख्या | पाठ्यक्रम का नाम | न्यूनतम अवधि | कोड |
|---|---|---|---|
| 1. | योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा | 1 वर्ष | DYN-16 |
| 2. | योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातक | 3 वर्ष | BYN-16 |

**उक्त डिप्लोमा एवं स्नातक पाठ्यक्रमों का नामकरण निम्नवत किया जाना प्रस्तावित है;**

| क्रम संख्या | पाठ्यक्रम का नाम | न्यूनतम अवधि | कोड |
|---|---|---|---|
| 1. | योग विज्ञान में डिप्लोमा | वर्ष/वर्ष 1 | DYS-17 |
| 2. | योग विज्ञान में स्नातक | वर्ष 3 | BYS-17 |

**प्रस्ताव संख्या-10.20- मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत संस्कृत तथा भारतीय कर्मकाण्ड में नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने के संबंध में।**

मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत संस्कृत तथा भारतीय कर्मकाण्ड में नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने हेतु विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी:-

| क्रम संख्या | पाठ्यक्रम नाम | पाठ्यक्रम कोड | समयावधि | प्रश्नपत्रों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | संस्कृत भाषा में प्रमाण पत्र<br>(Certificate Course in Sanskrit Language) | CSL – 17 | 6 माह | 02 |
| 2. | वैदिक अध्ययन में प्रमाण पत्र<br>(Certificate Course in Vedic Studies) | CVS – 17 | 6 माह | 02 |
| 3. | वैदिक कर्मकाण्ड में डिप्लोमा<br>(Diploma in Vedic Karmakand) | DVK – 17 | 1 वर्ष | 04 |

**प्रस्ताव संख्या-10.21-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की डिजिटल डिपॉजिटरी (Digital Depository) बनाये जाने के संबंध में।**

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करते हुए कुलपति जी ने निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की डिजिटल डिपॉजिटरी (Digital Depository) तैयार करने हेतु संबंधित संस्था से अनुबन्ध करने से पूर्व वित्तीय प्रावधानों पर स्थिति स्पष्ट की जानी आवश्यक है जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की एवं एतद्नुरूप संस्तुति प्रदान की गयी।

**प्रस्ताव संख्या-10.22- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशानुसार SWAYAM पोर्टल में उपलब्ध Massive Open Online Courses (मूक्स) को चिन्हित कर अंगीकृत किये जाने के संबंध में।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशानुसार SWAYAM पोर्टल में उपलब्ध Massive Open Online Courses (मूक्स) को चिन्हित कर अंगीकृत किये जाने के संबंध में कुलसचिव ने अवगत कराया कि प्रारम्भिक स्तर पर कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में यह व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है जिसमें स्नातक स्तर पर सम्पूर्ण कोर्स में कुल क्रेडिट में से 20 प्रतिशत कोर्स विद्यार्थी इसमें से कर सकता है। प्रस्ताव का अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।

**प्रस्ताव संख्या-10.23- विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश, परीक्षा एवं दीक्षान्त समारोह से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार।**

विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश, परीक्षा एवं दीक्षान्त समारोह से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार हेतु गठित समिति की संस्तुतियॉ जो प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी थी, का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर सहमति व्यक्त की गयी।

**प्रस्ताव संख्या-10.24- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**

**प्रस्ताव संख्या 10.24.01- मान्यता बोर्ड की छठी बैठक दिनांक 21.03.2017 की संस्तुतियों पर विचार।**

विश्वविद्यालय मान्यता बोर्ड की छठी बैठक दिनांक 21.03.2017 की संस्तुतियों का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 10.24.02- समाज विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत मनोविज्ञान विषय में स्मृति वर्धक विज्ञान में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने के संबंध में विचार।**

समाज विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत मनोविज्ञान विषय में स्मृति वर्धक विज्ञान में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने पर विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गई:-

| पाठ्यक्रम नाम | प्रश्न पत्र का नाम | पाठ्यक्रम कोड | समयावधि | प्रश्न पत्र संख्या |
|---|---|---|---|---|
| स्मृति वर्धक विज्ञान में प्रमाण पत्र | स्मृति वर्धक विज्ञान | CME -17- 101 | 6 माह | 1 |
| | मानव शरीर विज्ञानं | CME-17-102 | | 1 |
| | कार्यशालाप्रयोगात्मक / कार्य | CME-17-103 | | 1 |

**प्रस्ताव संख्या 10.24.03- विश्वविद्यालय शोध परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 17.03.2017 की संस्तुतियों पर विचार।**

विश्वविद्यालय शोध परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 17.03.2017 की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं संस्तुतियों के उपरांत कुलपति जी द्वारा बाह्य सदस्यों को विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह दिनांक 17 अप्रैल,2017 में आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात विद्या परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों एवं विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

24/3/17

(प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव विद्या परिषद
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

24/3/17

प्रो० नागेश्वर राव
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)